पत्रांकः– 04/NULM-67/16/......329......../न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

नगर आयुक्त, सभी नगर निगम।
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद् एवं नगर पंचायत।

पटना, दिनांक......15/2/18............

विषयः– **दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के EST&P घटक के तहत लाभुकों के पात्रता के संबंध में।**

प्रसंग :– 04/NULM-84/2016/2824 दिनांक–14.12.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का स्मरण किया जाय। प्रासंगिक पत्र के माध्यम से वैसे शहरी गरीब, जिन्हें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कार्ड उपलब्ध है, उन्हें पात्र लाभुक की श्रेणी में रखा गया था। इस संबंध में सम्यक् विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि "DAY-NULM योजना के EST&P घटक के तहत वैसे लाभुक, जो राज्य के किसी भी शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में BPL अथवा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अच्छादित हों, वैसे लाभुक यदि किसी शहरी/निकाय के क्षेत्र में, अस्थायी रुप से रह रहे हों, तो वैसे लाभुक सक्षम पदाधिकारी से उस निकाय क्षेत्र का अस्थायी निवास प्रमाण–पत्र प्राप्त कर EST&P घटक के अधीन उस निकाय क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पात्र लाभुक माने जायेंगे।"

अतः अनुरोध है कि तद्आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन

12/2/2018

प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग।